न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला (अलवर)

अध्याशितः—श्री गंगाधर मीणा आर0ए0एस0

प्रा0पत्र सं0
09 / 2021

दायर दिनांक
27 / 01 / 2021

निर्णय दिनांक
05 / 12 / 2022

उनवान

1. चन्द्रप्रकाश

2. रविप्रकाश पुत्रान नन्दलाल जाति अहीर

3. सन्तोष यादव वेवा नन्दलाल जाति अहीर निवासी मोहल्ला अहीर वाटी किशनगढ़वास तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर राजस्थान।

:— वादीगण

वनाम

1. धनीराम पुत्र चुन्नाराम जाति अहीर निवासी मोहल्ला अहीर वाटी किशनगढ़वास तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर राज0।

2. श्रीमान उपपंजियक महोदय, किशनगढ़वास

:— प्रतिवादीगण

प्रार्थनापत्र वादीगण / प्रार्थीगण धारा 212 राज0टी0ए0
आदेश 39 नियम 1, 2 दफा 151 जा0दी0

उपस्थितिः—

1. वादीगण की ओर से श्री अजयराव जी एडवोकेट।
2. प्रतिवादीगण की ओर से श्री धर्मपाल यादव जी एडवोकेट।

निर्णय

प्रार्थीगण के प्रार्थना—पत्र का सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार प्रस्तुत है :—

प्रार्थीगण ने प्रार्थना—पत्र पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नंबर 441 रकबा 0.9000 चाही 1 का 31 / 144 भाग वाके ग्राम किशनगढ़बास तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर

राजस्थान में स्थित है। आराजी प्रार्थीगण के पिता/पति नन्दलाल की विरासत की आराजी है। अब चूंकि प्रार्थीगण के पिता/पति नदलाल फौत हो गया जिसके वादीगण वारिस काबिज जायदाद है। वादीगण के पिता नदलाल की फौतगी के बाद वादीगण का इतकाल अभी तक दर्ज नहीं हो पाया है। नंदलाल व धनीराम सगे भाई है लेकिन धनीराम चतुर चालाक व्यक्ति है जो कानून कायदे की कतई परवाह नहीं करता है एवं वादीगण के हिस्से से बेदखल करने की धमकी देता रहता है। आराजी खसरा नम्बर 441 रकबा 0.9000 चाही 1 का 31/144 भाग है लेकिन प्रतिवादी/अप्रार्थी ने दिनांक 24/01/2021 को ऐलानिया धमकी दी है कि बिना तकासमा कराये आराजी दीगर को बेचान करूंगा व सालिम हिस्से पर कब्जा करूंगा, तुम क्या करोगे। अगर प्रतिवादी ने वादीगण के हिस्से पर भी कब्जा कर लिया तो वादीगण को अजहद हानि होगी जिसकी कीमत रूपयों में भी नहीं आंकी जाएगी तथा वादीगण को बेजा मुकदमे में फंसना पड़ेगा। इसलिए अप्रार्थी नंबर 1 को जरिये हुक्मइम्तनाई दवामी चन्दरोजा से पाबंद किया जाना निहायत आवश्यक है।

प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं नापूर्ति होने वाली क्षति वादी/प्रार्थी के पक्ष में आयद व साबित है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को ताफैसला दावा जरिये हुक्मइम्तनाई चन्दरोजा पाबंद किया जावे कि हाल खसरा संख्या 441 रकबा 0.9000 चाही 1 का 31/144 भाग वाके ग्राम किशनगढ़बास तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर वादीगण को बेदखल ना करे, ना कब्जा काश्त में किसी प्रकार से मजाहमत व मदाखलत पैदा करें, ना आराजी मुतदाविया को रहन, बय, हिबा, लीज इत्यादि से मुन्तकिल करे, ना किसी वित्तिय संस्था से ऋण हासिल करे, मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर रजिस्टर किया गया । अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा वकील प्रार्थी को सुना जाकर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 27/01/2021 से दिनांक 02/03/2021 तक इस अमर से पाबंद किया गया कि वो आराजी खसरा संख्या 441 रकबा 0.9000हे0 चाही 1 का 31/144 भाग स्थित वाके ग्राम किशनगढ़बास तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान में रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

तत्पश्चात अप्रार्थीगण संख्या 1 ने प्रार्थना–पत्र को अस्वीकार कर जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादीगण का वाद वो शपथपत्र सराकार मिथ्या है। उनका कोई प्राइमापेसी केस आयद वो साबित नहीं होता है। आराजी ख0नं0 441 किशनगढ़बास में स्थित है जो आराजी प्रार्थीगण व अन्य हिस्सेदारान की खातेदारी की है तथा मौके पर पहले से ही बंटी हुई है। सभी हिस्सेदार अपने–अपने हिस्से पर अलग–अलग काबिज है। आराजी का पूर्व से ही विभाजन हो रहा है। प्रार्थीगण ने अपने हिस्से के रकबे पर अलग से 7 दुकानें बनाई हुई हैं। मिन अप्रार्थी ने अपने हिस्से में अलग से 7 दुकानें बनाई हुई है तथा पड़त जमीन पर अलग–अलग हिस्से के मुताबिक काबिज होकर उपभोग उपयोग कर रहे हैं। रास्ता शामलाती छोड़ा हुआ है। मिन अप्रार्थी अपने हिस्से की पड़त भूमि पर जब तामीरात करने लगा तो प्रार्थीगण ने नितान्त गलत तथ्यों के आधार पर वाद पेश किया है। दिनांक 24/01/2021 की कहानी मिथ्या दर्ज की है। जब प्रार्थीगण अपने हिस्से पर

काबिज हैं तो उन्हें बेदखल करने का या हानि होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता बल्कि मिन अप्रार्थी को हानि होने का अंदेशा है। प्रार्थीगण किसी प्रकार की कोई अस्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थी किसी प्रकार की कोई अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना–पत्र काबिल खारिज है। विवादित आराजी ख0नं0 441 किशनगढ़बास के प्रार्थीगण व मिन अप्रार्थी सहखातेदार हैं और सहखातेदार के विरुद्ध हुक्मइम्तनाई दवामी का वाद कानूनन चलने योग्य नहीं है। आराजी पूर्व में ही विभाजित है और खातेदारान अपने–अपने हिस्से मुताबिक अलग–अलग काबिज हैं। मिन अप्रार्थी अपने हिस्से की पड़त भूमि पर जब निर्माण करने लगा तो प्रार्थीगण ने गलत तथ्यों के आधार पर तंग परेशान करने की नीयत से वाद वो शपथपत्र मिथ्या तथ्यों के आधार पर पेश किए हैं। अतः प्रार्थना–पत्र मय खर्चा काबिले खारिज है।

उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए न्यायालय के आदेश दिनांक 27/01/2021 को ताफैसला दावा स्थाई किये जाने का निवेदन किया तथा वकील अप्रार्थी संख्या 01 ने अपनी बहस में जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए न्यायालय द्वारा पारित अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 27/01/2021 को अपास्त किए जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अध्योपान्त अवलोकन किया। प्रत्रावली संलग्न राजस्व रिकॉर्ड अनुसार विवादित आराजी पक्षकारान की सहखातेदारी में अंकित है। जिस पर पक्षकारान ने अपने प्रार्थना–पत्र एवं जवाब प्रार्थना–पत्र में मौके पर हिस्सेनुसार काबिज बताया है। क्योंकि विवादित आराजी सहखातेदारी की है। इसलिए प्रार्थी को रिलीफ हेतु धारा 53 का वाद बंटवारे हेतु न्यायालय में पेश करना चाहिए था। लेकिन प्रार्थी ने दावा 188 आर0टी0 एक्ट हुक्मइम्तनाई दवामी से पाबंद हेतु वाद पेश किया है जो सहखातेदारी पर लागू नहीं है। क्योंकि प्रत्येक सहखातेदार का अपनी सहखातेदारी आराजी में प्रत्येक इंच पर हक हकूक निहित है। इसलिए प्रथम दृष्ट्या मामला प्रतीत नहीं होता है। साथ ही सुविधा का संतुलन एवं नापूर्ति क्षति भी अप्रार्थी को ही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र सिद्ध नहीं होने के कारण खारिज किया जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः आदेश है:–

प्रार्थना–पत्र बाबत आराजी खसरा नंबर 441 रकबा 0.9000हे0 चाही 1 का 31/144 भाग वाके ग्राम किशनगढ़बास तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर बाबत स्थगन आदेश सिद्ध नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

(गंगाधर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)